

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मार्च 2013—चैत्र 7, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. बी-1-4-2013-2-पांच-(09).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-51-2011-2-पांच (18), दिनांक 31 मार्च 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 1 अप्रैल 2013 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में, आबकारी शुल्क, जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी-कर-योग्य-वस्तुओं से संबंधित है, उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों पर, विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	आबकारी कर योग्य वस्तुओं का विवरण	आबकारी शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	देशी मदिरा (25 डिग्री अन्डरप्रूफ देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अन्डरप्रूफ देशी मदिरा प्लेन).	रुपए 92/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट) घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर जब प्रति पेटी (12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य) (क) रुपए 800/- तक	एक्स विदेशी मदिरा की भाण्डागार प्रदाय दर का 120 प्रतिशत या रुपए 625/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.

(1)	(2)	(3)
(ख) रुपए 801/- से रुपए 1100/- तक हो		एक्स विदेशी मदिरा की भाण्डागार प्रदाय दर का 100 प्रतिशत या रुपए 975/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(ग) रुपए 1101/- से रुपए 1600/- तक हो		एक्स विदेशी मदिरा की भाण्डागार प्रदाय दर का 75 प्रतिशत या रुपए 1100/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(घ) रुपए 1601/- से रुपए 2800/- तक हो		एक्स विदेशी मदिरा की भाण्डागार प्रदाय दर का 50 प्रतिशत या रुपए 1250/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(ङ) रुपए 2801/- से रुपए 4000/- तक हो		एक्स विदेशी मदिरा की भाण्डागार प्रदाय दर का 45 प्रतिशत या रुपए 1500/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(च) रुपए 4001/- से रुपए 10000/- तक हो		एक्स विदेशी मदिरा की भाण्डागार प्रदाय दर का 25 प्रतिशत या रुपए 1850/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(छ) रुपए 10000/- से अधिक हो		एक्स विदेशी मदिरा की भाण्डागार प्रदाय दर का 22 प्रतिशत या रुपए 2600/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
3. असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर		
(क) ड्राट बीयर		रुपए 20/- प्रति बल्क लीटर
(ख) उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न बीयर		एक्स विदेशी मदिरा की भाण्डागार प्रदाय दर का 40 प्रतिशत या रुपए 115/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(ग) लो-अल्कोहोलिक बिवरेजेस (पिए जाने के लिए तैयार) जिसमें 8 प्रतिशत तक अल्कोहल हो.		एक्स विदेशी मदिरा की भाण्डागार प्रदाय दर का 40 प्रतिशत
4. मद्य		
(क) मद्य		रुपए 125/- प्रति पूफ लीटर
(ख) मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से और मध्यप्रदेश में निर्मित मद्य.		शून्य
5. भांग		
(क) नीलाम की गई भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के लिए.		रुपए 100/- प्रति किलोग्राम
(ख) उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों/संस्थाओं के लिए.		रुपए 300/- प्रति किलोग्राम

6. रक्षा सेवा कार्मिकों को प्रदाय की जाने वाली, भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स द्वारा, रम के लिए दी जाने वाली ड्यूटी के 30 प्रतिशत की दर से तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा [विहस्की, ब्राण्डी, जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट (बीयर) इत्यादि] के लिए दी जाने वाली ड्यूटी के 50 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी.

स्पष्टीकरण-1.—विदेशी मदिरा (स्पिरिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कार्डियल, बिटर तथा उनके मिश्रण तथा अन्य स्पिरिट युक्त निर्मितियां जिसमें स्पिरिट मुख्य घटक हों.

स्पष्टीकरण-2.—माल्ट मदिरा में सम्मिलित है बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर आदि.

स्पष्टीकरण-3.—“रक्षा सेवा कार्मिक” से अभिप्रेत है ऐसे रक्षा सेवा कार्मिक, जो रक्षा कैन्टीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं, और सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक, जो संबंधित प्राधिकृत थोक रक्षा कैन्टीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं.

7. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. बी-1-4-2013-2-पांच-(09).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-04-2013-2-पांच (09), दिनांक 28 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th March 2013

No. B-1-4-2013-2-V (09).—In exercise of the powers conferred by Section 25 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and in supersession of this department Notification No. F-B-1-51-2011-2-V (18), dated 31st March, 2012 issued in this behalf, the State Government, hereby prescribes the excise duties in so far as they relate to the excisable articles specified in column (2), of the Table below, at the rates specified in the corresponding entries in column (3) thereof, with effect from 1st April, 2013 in whole of the State of Madhya Pradesh, namely:—

TABLE

S. No.	Description of Excisable Articles	Rates of Excise Duty
(1)	(2)	(3)
1.	Country Spirit (25 degree under proof spiced country spirit and 50 degree under proof plain country spirit).	Rs. 92/- per proof Litre
2.	Foreign Liquor (Spirit) for Civilians. When per case (12 quart bottles or equivalent) declared Ex-foreign liquor warehouse price is,—	
	(a) upto Rs. 800/-	120 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 625/- per case, whichever is higher.
	(b) Rs. 801/- and upto Rs. 1100/-	100 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 975/- per case, whichever is higher.

(1)	(2)	(3)
(c)	Rs. 1101/- and upto Rs. 1600/-	75 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 1100/- per case, whichever is higher.
(d)	Rs. 1601/- and upto Rs. 2800/-	50 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 1250/- per case, whichever is higher.
(e)	Rs. 2801/- and upto Rs. 4000/-	45 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 1500/- per case, whichever is higher.
(f)	Rs. 4001/- and upto Rs. 10000/-	25 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 1850/- per case, whichever is higher.
(g)	Exceeds Rs. 10000/-	22 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 2600/- per case, whichever is higher.
3.	Foreign Liquor (Malt) Beer for Civilians	
(a)	Draught Beer	Rs. 20/- per bulk litre.
(b)	Beer other than above clause (a)	40 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 115/- per case, whichever is higher.
(c)	Low-Alcoholic Beverages (Ready to drink), which contains upto 8 Percent of Alcohol.	40 Percent of Ex-Foreign Liquor Warehouse price.
4.	Wines	
(a)	Wines	Rs. 125/- per proof litre.
(b)	Wine made from grapes produced in Madhya Pradesh and Manufactured in Madhya Pradesh.	Rs. Zero
5.	Bhang	
(a)	For licensees of auctioned shops of Bhang, Bhang-Ghota and Bhang-Sweets.	Rs. 100/- per Kilogram
(b)	For licensees/institutions other than above clause (a).	Rs. 300/- per Kilogram

6. The Excise Duty of the Indian made foreign liquor issued to the Defence Services personnel shall be charged for (Rum) at the rate of 30 percent and for other Indian made foreign liquor [Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Malt (Beer) etc.] at the rate of 50 percent of duty, payable by the Civilians.

Explanation-1.—Foreign liquor (Spirit) includes Whisky, Brandy, Rum, Gin, Vodka, Liquor, Cordial, Bitter and their mixtures and other preparations, containing spirit as main ingredient.

Explanation-2.—Malt liquor includes Beer, Stout, Ale, Porter, Cider etc.

Explanation-3.—“Defence services” personnel shall mean defence service personnel receiving foreign liquor through the Defence Canteen Organisation and the personnel of the Border Security Force and the personnel of the Indo-Tibetan Border Police and personnel of the Central Industrial Security Force, receiving foreign liquor through the respective authorised wholesale military canteens.

7. This notification shall come into force, from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. U. KHAN, Addl. Secy.